

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

अति-आवश्यक

क्र. एफ-5/माडा/शिक्षा प्रोत्साहन/एसीटीएडी/18-19/38985-39000-4 दिनांक 19/11/2018

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा0वि0प्र0)
दौसा, बून्दी, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौडगढ, कोटा
टोंक, झालावाड, भीलवाडा, अलवर, बांरा, धौलपुर, सीकर, पाली, अजमेर
राजसमद, जालौर, झुन्झुनु, भरतपुर, चुरु, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ, नागौर,
श्रीगंगानगर, जेसलमेर, बाडमेर।

विषय:- सत्र 2018-19 में गैर- अनुसूचित क्षेत्र योजना अन्तर्गत जनजाति छात्राओं के शैक्षणिक प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत माह अक्टूबर, 2018 तक ऑन-लाईन प्राप्त आवेदन पत्र की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सत्र 2018-19 गैर-अनुसूचित क्षेत्र योजना अन्तर्गत जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए संचालित शैक्षणिक प्रोत्साहन योजना में 1. जनजाति छात्राओं को प्रोत्साहन, 2. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति, 3. जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता, के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्र माह अक्टूबर, 2018 तक की समीक्षा करने पर आपके जिले की स्काॅलर शीप पोर्टल पर प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.स.	जिला	कुल लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्कूल एवं महाविद्यालय स्तर पर आक्षेपित आवेदन पत्रों की संख्या	जिला परिषद स्तर पर आक्षेपित आवेदन पत्रों की संख्या	स्कूल एवं महाविद्यालय स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	जिला परिषद स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या	जिला परिषद स्तर पर अनुमोदित आवेदन पत्रों की संख्या	जिला परिषद आवेदन पत्रों की जारी की गई स्वीकृति	जिला परिषद स्तर पर आवेदन पत्रों की बिल जनरेट की स्थिति
1	दौसा	1803	1840	97	57	566	52	1011	0	0
2	बून्दी	1585	1620	51	28	204	549	739	502	502
3	करौली	1420	1321	39	1	265	282	725	0	0
4	सवाई माधोपुर	1190	1182	68	5	296	253	552	364	0
5	जयपुर	1706	1003	57	0	357	559	0	0	0
6	चित्तौडगढ	666	519	14	4	430	43	25	0	0
7	कोटा	637	553	31	20	109	18	366	0	0
8	टोंक	564	411	17	66	132	59	96	0	0
9	झालावाड	498	334	4	20	64	8	225	146	146
10	भीलवाडा	473	303	1	0	73	226	0	0	0
11	अलवर	774	187	4	6	59	93	1	0	0
12	बांरा	377	201	2	0	47	26	83	46	0
13	धौलपुर	435	299	1	1	98	107	91	0	0
14	सीकर	157	70	4	2	34	1	24	0	0
15	पाली	272	47	0	0	33	0	14	0	0
16	अजमेर	120	41	0	0	35	4	0	0	0
17	राजसमद	192	36	1	0	31	4	0	0	0

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

18	जालौर	259	24	3	0	12	8	0	0	0
19	झुन्झुनु	128	47	0	0	31	3	12	10	10
20	भरतपुर	75	30	0	0	11	9	8	5	5
21	चुरू	33	11	0	0	9	2	0	0	0
22	जोधपुर	169	18	0	0	18	0	0	0	0
23	बीकानेर	22	9	1	0	8	0	0	0	0
24	हनुमानगढ	23	5	0	0	5	0	0	0	0
25	नागौर	19	3	0	0	3	0	0	0	0
26	श्री गंगानगर	18	4	0	0	3	0	0	0	0
27	जैसलमेर	64	1	0	0	1	0	0	0	0
28	बाडमेर	247	18	1	0	16	1	0	0	0
29	सिरोही	—	—	—	—	—	30	—	—	—
	योग	13926	10137	396	210	2950	2337	3972	1073	663

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गैर-अनुसूचित क्षेत्र के आशार्थियों की शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अनुमोदित आवेदन पत्रों की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गई। अतः शीघ्र स्वीकृति जारी करने का श्रम करावें। आपके स्तर पर आक्षेपित आवेदन पत्रों कमीपूति भी शीघ्र कराने का श्रम करावें। स्कूल/महाविद्यालय के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों के संबंध में आपके स्तर से प्राचार्य/प्रधानाचार्य को निर्देश प्रदान करावें। कृपया आपके स्तर से यह सुनिश्चित करावें कि स्कॉलर शीप पोर्टल पर विद्यार्थियों से प्राप्त ऑन-लाईन आवेदन पत्रों का शीघ्र निराकरण करते हुए जनजाति आशार्थियों को शिक्षा प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित करावे। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करावें। अतः आप द्वारा की गई कार्यवाही से इस विभाग को तीन दिवस में अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय

प्रभारी अधिकारी (माडा)

क्र. एफ-5/माडा/शिक्षा प्रोत्साहन/एसीटीएडी/18-19/38985-39000-40 दिनांक 19/11/2018
प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ए-50, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा0वि0प्र0) दौसा, बून्दी, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, चित्तौडगढ, कोटा, टोंक, झालावाड, भीलवाडा, अलवर, बांरा, धौलपुर, सीकर, पाली, अजमेर, राजसंमद, जालौर, झुन्झुनु, भरतपुर, चुरू, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ, नागौर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाडमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. प्रभारी अधिकारी, उपनिदेशक, एसीपी, कार्यालय हाजा, कम्प्यूटर शाखा को सूचनार्थ प्रेषित है।

प्रभारी अधिकारी (माडा)